UPHR010000802022

न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० (14 वां वित्त आयोग) हरदोई।

पीठासीन अधिकारी–यशपाल, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड– यू०पी० 1867

सत्र परीक्षण संख्या– 115/2022

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विनय सिंह आदि

अपराध संख्या– 557/2017

धारा– 323, 366, 376, 506 भा०दं०सं०

थाना– अतरौली, **जिला–** हरदोई।

दिनांक–23.05.2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र 17 ब

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। प्रार्थना पत्र कागज संख्या 17 ब, अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० दिनांकित 06.05.2024 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वादी मुकदमा राजेश सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 17 ब इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त वाद का अभियोगी है। उपरोक्त मुकदमें की अभियुक्ता बबली पुत्री रामेन्द्र निवासी ग्राम जगसरा, थाना अतरौली, जिला हरदोई की नामजद अभियुक्ता है। उपरोक्त मुकदमें में वादी श्री राजेश सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह पी०डब्लू० 1 के रूप में श्रीमान जी के न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। जिसमें उसने ननद बबली का घटना में शामिल होना अपने बयान में पेज नम्बर 14 पर बताया है। पी०डब्लू० 2 सर्वेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेश सिंह न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत हुये थे। उन्होनें भी बबली पुत्री रामेन्द्र का घटना में शामिल होना अपने बयान पेज नम्बर 2 पर 10 वीं लाइन में कहा है। स्थानीय पुलिस ने मुल्जिम से मिलकर बबली को निकाल दिया है। समस्त साक्ष्य के अनुसार बबली का तलब होना नितान्त आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि न्यायहित में बबली पुत्री रामेन्द्र निवासी जगसरा, थाना अतरौली, जिला हरदोई को तलब करने की कृपा करें।

3. पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना अतरौली, जिला हरदोई को अभियुक्तगण विनय कुमार, रामेन्द्र सिंह, मृतिका की सास नाम अज्ञात व बबली के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में दिया गया था। जिस पर थाना अतरौली द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। विवेचना के पश्चात केवल अभियुक्तगण विनय सिंह, रामेन्द्र सिंह व श्रीमती कुसुमा सिंह के विरुद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया। जबकि अभियुक्ता बबली के विरुद्ध विवेचक द्वारा साक्ष्य प्रथमदृष्टया नहीं पाये गये। संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली को कमिट किये जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2022 को अभियुक्तगण विनय सिंह, रामेन्द्र सिंह व श्रीमती कुसुमा सिंह के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 का बयान/साक्ष्य दिनांक

Digitally signed by YASHPAL
Date: 2024.05.23 14:42:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

27.05.2022, 08.06.2022, 10.06.2022 का अंकित किया गया। उसके पश्चात अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 2 सर्वेन्द्र प्रताप सिंह, पी०डब्लू० 3 डाक्टर मो० आरिफ, पी०डब्लू० 4 हेड कां० जोगेन्द्र सिंह राठी, पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह व पी०डब्लू० 6 भीमचन्द्र तहसीलदार का साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया। अभियोजन द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2024 को दिया गया है। विलम्ब का कोई कारण भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थतियों के अतिरिक्त विधिक प्रावधान एवं विधिक स्थिति अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० के संबंध में दृष्टिगत रखना भी समीचीन प्रतीत होता है।

4. धारा 319 दं०प्र०सं०– अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति –

(1) जहाँ किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है ।

(2) जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहाँ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।

(4) जहाँ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां–

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा;

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था, जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

5. धारा 319 दं०प्र०सं० की उपधारा 1 के अनुसार जहाँ किसी अपराध की जाँच या विचारण के दौरान साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, उसने ऐसा अपराध किया, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, अथवा उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिये, जिसको उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है। अतः उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 319 दं०प्र०सं० ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में है, जिन्हें विवेचक द्वारा आरोप पत्र में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, लेकिन विचारण में उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

6. विधि व्यवस्था **सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2022 (2) पी०एन०पी० 40 (एस०सी०)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है, कि धारा 319 दं०प्र०सं० के अधीन शक्ति विवेकाधीन होती है और उसका प्रयोग कभी–कभार किया जाना चाहिए।

7. विधि व्यवस्था **सुनील कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल अपील संख्या**

395/2019 निर्णय दिनांकित 27.02.2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रावधान पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए तथा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अतिरिक्त अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किये जाने की न्यायालय की शक्ति एक विवेकीय तथा असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग यदा–कदा समुचित मामले में बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। धारा 319 दं०प्र०सं० की शक्तियों के प्रयोग के लिये व्यक्ति के अपराध में शामिल होने की सम्भावना ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उसके लिये कहीं अधिक ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में यदि प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रहने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि में परिवर्तित हो सकता है, तो इस शक्ति को प्रयोग उचित है। इस शक्ति का प्रयोग केवल इसलिये नहीं किया जाना चाहिये कि प्रथम सूचनादाता या गवाह में से कोई अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही चाहता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिये न्यायालय को पर्याप्त और ठोस कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

8. धारा 319 दं० प्र० सं० के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एस ० सी० सी० 92** में धारित किया गया है कि–धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और आसाधरण शक्ति है, जिसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। धारा 319 के लिए जो परीक्षण लागू किया जाना है, वह जो आरोप तय करने के समय किये गये प्रथण दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, इस हद तक संतुष्टि से कम है कि सबूत अगर खंडन नहीं किया जाता है तो दोषसिद्धि हो जाएगी। ऐसी संतुष्टि के अभाव में न्यायालय को दं०प्र०सं० की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

9. इसी प्रकार **R. Dinesh kumar vs state**, (2015) 7 **SCC** 497 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि Twin requirement for summoning an additional accused u/s 319 crpc are as under.

(i) That from the evidence it appears to the court that such person has commited any offence.

(ii) That such a person could be tried together with the accused already facing trial.

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 1009** के मामले में मा० संविधान पीठ द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुक्रम में यह धारित किया गया कि अगर अतिरिक्त अभियुक्तों का समन आदेश पारित किया जाता है, जिस चरण पर इसे पारित किया जाता है, उसके आधार पर, न्यायालय इस तथ्य पर भी अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेगा कि क्या इस तरह के तलब किये गये अभियुक्तों को अन्य अभियुक्तों के साथ–साथ या अलग पेश किया जाना है। यदि निष्कर्ष संयुक्त विचारण के लिये है, तो समन किये गये अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही नये सिरे से विचारण शुरू किया जाएगा।

11. यदि निष्कर्ष यह है कि समन किये गये अभियुक्तों पर अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है, तो इस तरह के आदेश दिये जाने पर, न्यायालय के लिए उन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमें को जारी रखने और समाप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी, जिनके साथ कार्यवाही की जा रही थी।

12. वादी मुकदमा राजेश सिंह की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दौरान

बहस यह कहा गया है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 राजेश सिंह द्वारा अपने बयान के पेज संख्या 14 पर प्रस्तावित अभियुक्ता बबली का घटना में शामिल होना बताया तथा पी०डब्लू० 2 सर्वेन्द्र प्रताप सिंह जो की मृतका का भाई है, ने अपने बयान के पेज संख्या 2 की 10 वीं लाइन पर उक्त प्रस्तावित अभियुक्ता को घटना में शामिल होना बताया। प्रस्तावित अभियुक्ता बबली को तलब किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन किया गया। अतः यह कहा गया है कि प्रस्तावित अभियुक्ता की कोई भूमिका घटना में नहीं है।

13. उपरोक्त तर्कों के आलोक में पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। **पी०डब्लू० 1 राजेश सिंह वादी मुकदमा द्वारा जिरह में पेज संख्या 14** पर यह कहा है कि मेरी लड़की ने फोन से अपने भाई सर्वेन्द्र को मैसेज किया कि अभियुक्तगण सास–ससुर, पति, ननद इस बात को लेकर परेशान करते है कि कुछ लेकर (दहेज) नहीं आयी हो। मेरी लड़की बताती थी कि ससुरालीजन मुझसे व मेरे परिवारवालों से बात नहीं करने देते थे। दहेज के लिए ससुरालीजन मारते–पीटते थे, जिसको उसने व्हाट्सएप से बताया था। **पी०डब्लू० 2 सर्वेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अपने साक्ष्य में जिरह के पेज संख्या 11** पर यह कहा है कि जो मैसेज मेरी बहन ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजे थे, इनका प्रिंट आउट मैंने सी०ओ० साहब को नहीं दिया और न्यायालय में भी दाखिल नहीं किया।

14. पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा उपरोक्त कथित व्हाट्सएप व मैसेज के प्रिन्ट आउट न तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये न ही दौरान विवेचना पुलिस द्वारा चार्जसीट के साथ संलग्न किया गया है। पी०डब्लू० 1 राजेश सिंह वादी मुकदमा व पी०डब्लू० 2 सर्वेन्द्र प्रताप सिंह जो कि मृतका का भाई है, के उक्त बयानों में विरोधाभाष है। अभियोजन के द्वारा मात्र उक्त दोनों साक्षियों के बयान का हवाला ही दिया गया था। अतः न्यायालय के मत में उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्ता बबली को तलब कर विचारित अभियुक्तगण के साथ संयुक्त विचारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

15. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयानों से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया है। जिससे प्रस्तावित अभियुक्ता बबली की कथित अपराध में संलिप्तता प्रतीत होती है।

16. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों में प्रस्तावित अभियुक्त की संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकृति का नहीं है कि उसके अखण्डित रहने के आधार पर भी प्रस्तावित अभियुक्त की दोषसिद्धि सम्भव हो। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्तों की कसौटी पर परखने पर यह मामला धारा 319 दं०प्र०सं० की शक्तियों के प्रयोग के लिये समुचित मामला नहीं पाया जाता है। प्रार्थना पत्र धारा 319 दं०प्र०सं० बहस के स्तर पर दिया गया है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में अतः अभियोजन की ओर से धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र 17 ब** निरस्त होने योग्य है।

आदेश

17. **प्रार्थना पत्र संख्या 17 ब,** अंतर्गत **धारा 319 दं०प्र०सं० निरस्त** किया जाता है। पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित पत्रावली है। उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को देखते हुये शीघ्र विचारण पूर्ण किये जाने में न्यायालय का सहयोग प्रदान करें। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 07.06.2024 को पेश हो।

दिनांक–23.05.2024

(यशपाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
(14 वां वित्त आयोग), हरदोई।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 1867